

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर

सेवा पर्व पखवाड़ा अन्तर्गत ग्रामीण सेवा शिविर

ग्राम पंचायत- विन्जारी

प्रकरण संख्या:- 307/25

दिनांक:- 3-10-2025

उनवान

श्री शमरतन पुत्र
किशोर वैरा

बनाम सरकार जरिये तहसील चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर



:: आदेश ::

प्रार्थी के खाता दुरुस्ती प्रार्थना पत्र और उसके साथ संलग्न दस्तावेज, पटवारी हल्का (बहरी कला) भू. अ. नि. भारत का कांच एवं तहसीलदार चौथ का बरवाड़ा की रिपोर्ट/अनुशांषा अनुसार राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत ग्राम बहरी कला पो ह 0 विन्जारी की वर्तमान स्थायी जमाबन्दी के खाता संख्या 8 में वर्तमान दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं।

क्र. सं.	अशुद्ध प्रविष्टि का प्रकार (नाम/पिता का नाम/जाति/ग्राम का नाम/रहन आदि)	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	शुद्ध प्रविष्टि, जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जाती है।
	<u>वैरा नाम</u>	<u>S. B. B. J शाखा स. मा.</u>	<u>स्टैट वेंक ऑफ शिवा शाखा स. मा. (शेष 080 पत्र)</u>

10/10
उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा (सो. मा. 0)

प्रतिलिपी :-

1. तहसीलदार, चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल कर पालना सुस्त करे।
2. प्रार्थी श्री शमरतन पुत्र किशोर वैरा



10/10
उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा (सो. मा. 0)